अनुदान संख्या 83 – जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 83–DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	534,60,00		534,61,00	507,10,22	–27,50,78
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					25,00,00

टीका और टिप्पणियां / ***Notes and comments***

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3425" अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Major Head "3425" Other Scientific Research				
मू.	O.	52955.00	50400.00	50144.73	–255.27
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–2556.00			

(I) "अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" -

(I) "Others - Assistance to other Scientific Bodies"–

(क) "वैज्ञानिक संस्थाएं/व्यावसायिक निकाय" -708.80 लाख रु. की बचत (13405.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Scientific Institutions/Professional Bodies" - saving of Rs.708.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13405.00 lakhs);

(ख) "जैव-प्रौद्योगिकी सुविधाएं, उत्कृष्टता केंद्र और कार्यक्रम सहायता" - 301.46 लाख रु. की बचत (6200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Biotech Facilities, Centres of Excellence and Programme Support" – saving of Rs.301.46 lakhs.(against the sanctioned provision of Rs.6200.00 lakhs);

(ग) ''आई एंड एम सेक्टर - प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों, प्रायोगिक परियोजनाओं, जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों और जैव-प्रौद्योगिकी विकास निधि के लिए सहायता'' - 624.11 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) ''आई एंड एम सेक्टर - सार्वजनिक निजी भागीदारी''- 1891.54 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें तकनीकी समिति द्वारा कम संख्या में परियोजनाओं को उपयुक्त पाए जाने के कारण हुईं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें प्रावधानों को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (499.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि ''अन्य'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2007 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता - जैव सूचना विज्ञान'' - 99.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 102.40 लाख रु. था।

(खा) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम और वैज्ञानिक सलाहकार समिति (समुद्रपारीय)'' -400.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 364.11 लाख रु. था।

(II) बचतें ''अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''मानव संसाधन विकास'' - 115.05 लाख रु. का अधिक व्यय (2800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) ''अनुसंधान और विकास'' - 194.00 लाख रु. का अधिक व्यय (19300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय कार्य बल द्वारा निधीयन के लिए अधिक परियोजनाओं की सिफारिश किए

(c) "I and M Sector – Assistance for Technology Incubators, Pilot Projects, Biotechnology Parks and Biotech Development Fund" – saving of Rs.624.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs); and

(d) "I and M Sector – Public Private Partnership" – saving of Rs.1891.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to less number of projects found fit by the Technical Committee.

2.(I) The above savings were partly (Rs.499.00 lakhs) utilised for augmenting the provisions as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2007 under "Others" - under the following heads:-

(A) "Assistance to other Scientific Bodies - Bioinformatics" - Rs.99.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.102.40 lakhs.

(B) "International Co-operation - International Bilateral Programmes and Scientific Advisory Committee (Overseas)" – Rs.400.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.364.11 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under "Others - Assistance to other Scientific Bodies" - under the following heads:-

(A) Human Resource Development" - excess Rs.115.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2800.00 lakhs); and

(B) "Research and Development" - excess of Rs.194.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.19300.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to more projects recommended for funding

जाने के कारण हुआ क्योंकि इनके आस्थगन से अनुसंधान कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 60.50 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत था।

by the Task Force as the deferment would have adversely affected the research work.

(III) Under one head excess of Rs.60.50 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.